2012/00064 | 2008/0010
2016/00186

(4)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी: नरेन्द्र गुप्ता , आर.ए.एस.

1. प्रकरण संख्या : 05 / 2012 (निगरानी)

उनवान

1. सत्यनारायण नावरिया आत्मज श्री बालचन्द जाति खटीक निवासी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
2. बसन्ती लाल आ0 रामचन्द्र जाति माली निवासी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
3. नवनीत गौतम आ0 श्री प्रहलाद कुमार शर्मा जाति ब्रा0 निवासी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)

(निगराकारान)

बनाम

1. खुशराज सिंह आ0 श्री बजरंगसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
2. राधेश्याम आ0 श्री राधाकिशन जाति महाजन निवासी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
3. नन्दलाल उर्फ बालचन्द आ0 भवानीराम जाति लोधा निवासी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
4. ग्राम पंचायत चेचट जर्ये सरपंच, ग्राम पंचायत चेचट, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)

(गैर निगराकारान)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाराजी आदेश दिनांक 12.12.2007 न्यायालय स्थायी समिति स्थापना एवं प्रशासन पंचायत समिति खेराबाद जिला कोटा बउनवानी सत्यनारायण नावरिया बनाम खुशराजसिंह वगे0 प्रकरण सं0 10 / 05

2. प्रकरण संख्या : 06 / 2012 (निगरानी)

उनवान

1. सत्यनारायण नावरिया आत्मज श्री बालचन्द जाति खटीक निवासी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
2. बसन्ती लाल आ0 रामचन्द्र जाति माली निवासी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
3. नवनीत गौतम आ0 श्री प्रहलाद कुमार शर्मा जाति ब्रा0 निवासी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)

(निगराकारान)

बनाम

1. प्रेमप्रकाश आत्मज श्री मोहनलाल नामा जाति छीपा निवासी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
2. राधेश्याम आ0 श्री राधाकिशन जाति महाजन निवासी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
3. नन्दलाल उर्फ बालचन्द आ0 भवानीराम जाति लोधा निवासी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
4. ग्राम पंचायत चेचट जर्ये सरपंच, ग्राम पंचायत चेचट, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)

(गैर निगराकारान)

2012/00064
2016/00186 2008/00010

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाराजी आदेश दिनांक 12.12.2007 न्यायालय स्थायी समिति स्थापना एवं प्रशासन पंचायत समिति खेराबाद जिला कोटा बउनवानी सत्यनारायण नावरिया बनाम खुशराजसिंह वगै0 प्रकरण सं0 10/05

3. प्रकरण संख्या : 08/2012 (निगरानी)

उनवान

1. सत्यनारायण नावरिया आत्मज श्री बालचन्द जाति खटीक निवासी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
2. बसन्ती लाल आ0 रामचन्द्र जाति माली निवासी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
3. नवनीत गौतम आ0 श्री प्रहलाद कुमार शर्मा जाति ब्रा0 निवासी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)

(निगराकारान)

बनाम

1. पूनमचन्द आत्मज रामगोपाल सैन जाति नाई निवासी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
2. राधेश्याम आ0 श्री राधाकिशन जाति महाजन निवासी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
3. नन्दलाल उर्फ बालचन्द आ0 भवानीराम जाति लोधा निवासी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
4. ग्राम पंचायत चेचट जर्ये सरपंच, ग्राम पंचायत चेचट, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)

(गैर निगराकारान)

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता (अभिभाषक निगराकारान)
उपस्थित :– 2. श्री प्रेमकुमार सिंह (अभिभाषक गेरनिगराकार)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाराजी आदेश दिनांक 12.12.2007 न्यायालय स्थायी समिति स्थापना एवं प्रशासन पंचायत समिति खेराबाद जिला कोटा बउनवानी सत्यनारायण नावरिया बनाम खुशराजसिंह वगै0 प्रकरण सं0 10/05

निर्णय दिनांक : 08.11.2019

1. निगराकारान द्वारा ये निगरानियॉ अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 में 1. ग्राम पंचायत चेचट के संकल्प सं0 04/4 दिनांक 17.12.2004 से जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 18.12.2004 से पूनमचन्द पुत्र रामगोंपाल सेन निवासी चेचट को 10 X 10 = 100 वर्गफीट का पट्टा जारी करने, ग्राम पंचायत चेचट के संकल्प सं0 06/4 दिनांक 18.12.2004 से जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 18.12.2004 से खुशराज सिंह पुत्र बजरंग सिंह निवासी चेचट को 10 X 10 = 100 वर्गफीट का पट्टा जारी करने एवम् ग्राम पंचायत चेचट के संकल्प सं0 07/4 दिनांक 18.12.2004 से जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 18.12.2004 से प्रेमप्रकाश पुत्र मोहनलाल छीपा निवासी चेचट को 10 X 10 = 100 वर्गफीट का पट्टा जारी करने के विरुद्व अपील पंचायत समिति खेराबाद जिला कोटा मे

करने पर प्रधान पंचायत समिति खेराबाद जिला कोटा के निर्णय दिनांक 12.12.2007 से पंचायत का फैसला बहाल रखे जाने पर निगराकार द्वारा निगरानी अधीनस्थ न्यायालय कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने सें प्रस्तुत की गई है।

2. निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगराकार की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

3. वकील निगराकार द्वारा बहस में निगरानी मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि ग्राम पंचायत चेचट ने खुशराज सिंह,प्रेमप्रकाश व पूनमचन्द के पक्ष मे 10 X 10 = 100 वर्गफीट (भूमि) 2500/– रूपये जमा कराकर पट्टे जारी किये है ।उक्त पट्टे जारी करने मे त्रुटि की गई है अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया कि वादग्रस्त भूमि पर पहले मूलचन्द आत्मज श्री रामचन्द्र माली निवासी ग्राम चेचट गत कई वर्षो से रोडी डालता था । मूलचन्द माली ने उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर पुराना कब्जा होना जाहिर कर वादग्रस्त भूमि पर उसको पट्टा देने के लिए गैरनिगराकार नं0 4 ग्राम पंचायत चेचट के समक्ष कार्यवाही की थी । गैरनिगराकार नं0 4 ने वादग्रस्त भूमि का मौका देखकर दिनांक 15.9.90 को आदेश पारित कर वादग्रस्त भूमि के पूर्व दिशा मे रास्ता होने से तथा जलदाय विभाग की बिल्डिंग पश्चिम में, कृषि विभाग का गोदाम होने से रास्ता तंग होने का अन्देशा होने से उक्त आधार पर मूलचन्द के पट्टे की कार्यवाही खारिज करदी थी । उक्त आदेश फाइनल हो चुका है । इस कारण वादग्रस्त भूमि का कानूनन पटटा जारी नही किया जा सकता है । इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जेर निगरानी प्रदान करने मे त्रुटि की है । वादग्रस्त भूमि पर गेरनिगराकार नं0 1 का कभी भी कब्जा नही रहा है तथा वर्तमान मे भी कब्जा नही है । गेरनिगराकार नं0 1 की वादग्रस्त भूमि पर बोडी लगी हुई नही है । गेरनिगराकार नं0 1 वादग्रस्त भूमि का नियमन करवाने तथा पटटा लेने की योग्यता नही रखता था । इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सर्वथा अवैध मनमाना एवम् त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है । ग्राम पंचायत ने मौका देखे बिना ही मनमाने तौर पर मौके की स्थिति के विपरीत उसका वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नही होने के उपरान्त भी वादग्रस्त भूमि को रास्ते की भूमि एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि है का गेरनिगराकार नं0 1 के पक्ष मे पटटा जारी करने मे त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । निगराकार ग्राम पंचायत चेचट के स्थायी निवासी है । वादग्रस्त भूमि मे होकर निगराकार एवं ग्रामवासियान के आने जाने का रास्ता है । गेरनिगराकार नं0 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कर लिया तो निगराकारान के आने जाने का रास्ता अवरूद्व एवं तंग हो जावेगा एवम् उन्हे अपूर्णीय क्षति होगी । निगराकार हुक्म जैर निगरानी से व्यथित पक्षकार होने से हुक्म जेर निगरानी से निगराकार के हितों पर विपरीत प्रभाव पडा है । अतः निगराकार यह निगरानी प्रस्तुत करने के अधिकारी है । कृषि भूमि का गोदाम वादग्रस्त भूमि के पास ही स्थित है । वादग्रस्त भूमि पर कृषि गोदाम पर माल लेकर आने जाने वाले ट्रक खडे होते है । वादग्रस्त भूमि पर गेरनिगराकार नं0 1 द्वारा निर्माण कर लिया तो निगराकार एवं ग्रामवासियान का आने जाने का रास्ता ही अवरूद्व हो जावेगा । अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए गेरनिगराकार नं0 1 के पक्ष मे जारी पटटा निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

4. विद्वान अभिभाषक गेरनिगराकार द्वारा अपनी बहस मे जाहिर किया कि गेरनिगराकार नं0 1 के पक्ष मे जारी पटटा नियमानुसार जारी किया गया है । जिसकी अपील पंचायत समिति खेराबाद के निर्णय दिनांक 12.12.2007 से पंचायत का फैसला बहाल रक्खा गया है । जबकि ग्राम पंचायत द्वारा मौका देखने पर आवंटन के पश्चात साढे सौलह फिट का रास्ता बचता है जो पर्याप्त होने पर उक्त भूमि रास्ते की नही मानी जा सकती । भूमि सार्वजनिक उपयोग की भी नही होना पायी गई क्योकि पंचायत द्वारा मौका देखकर 25 वर्षो से प्रेमप्रकाश, पूनमचन्द व खुशालसिंह का कब्जा पाये जाने पर उक्त पटटा जारी किया है । पूर्व मे मूलचन्द के पट्टे की

कार्यवाही निरस्त करने से गैरनिगराकार पटटा जारी करवाने के अधिकार समाप्त नही हो जाते है । अतः निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

5. विद्वान वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । सत्यनारायण निगराकार द्वारा गैरनिगराकार प्रेमप्रकाश, पूनमचन्द व खुशाल सिंह को दिये गये पटटे को निरस्त करने हेतु यें निगरानियां पेश की गई है । गैरनिगराकारान को ग्राम पंचायत चेचट द्वारा दिनांक 18.12.2004 को करीब 25 वर्षो से कब्जा होने के आधार पर पटटा दिया गया जिसकी अपील पंचायत समिति खेराबाद मे करने पर पंचायत समिति खेराबाद की स्थायी समिति द्वारा दिनांक 19.9.15 को मौका देखा । मौके पर कृषि भवन व पी.एच.डी. की टंकी के बीच साढे छब्बीस फुट जगह होना तथा पटटे के बाद 16 फुट जगह शेष बचना पाये जाने पर व रास्ता पर्याप्त होने के कारण अपील दिनांक 12.12.2007 को खारिज की गई ।

दिनांक 15.09.1990 को विवादित आराजी पर पूर्व मे रास्ता तथा जलदाय विभाग की बिल्डिंग, कृषि विभाग का गोदाम होने व पट्टा देने से रास्ता तंग होने का अंदेशा होने से प्राथी द्वारा पटटे हेतु ग्राम पंचायत मे पेश प्रा0 पत्र निरस्त किया गया । निगराकार की मुख्यतः 3 आपत्तियां है :-

(1). रास्ते की भूमि का पट्टा दिया जाने की आपत्ति की गई है । जबकि पंचायत समिति द्वारा मौका देखने पर पट्टा आवंटन पश्चात साढे सोलह फीट का रास्ता बचता है जो पर्याप्त होने पर उक्त भूमि रास्ते की नही मानी जा सकती । वैसे भी नजरी नक्शा जिस पर प्रधान पंचायत समिति खेराबाद के हस्ताक्षर है से मुख्य सड़क से सत्यनारायण के घर तक साढे छब्बीस फुट का रास्ता होना नही पाया जाता । क्योकि बीच मे प्रहलाद शर्मा का मकान है जहां पर रास्तां नक्शे के अनुसार 16 फुट ही रह जाता है । अतः भूमि रास्ते की होना नही पाये जाने से निगराकार की उक्त आपत्ति निरस्त की जाती है ।

(2). भूमि सार्वजनिक उपयोग की भी नही होना पायी जाती क्योकि पंचायत द्वारा मौका देखकर 25 वर्षो से प्रेमप्रकाश, पूनमचन्द व खुशालसिंह का कब्जा पाने पर उक्त पट्टा जारी किया है ।

(3). पूर्व मे मूलचन्द के पट्टे की कार्यवाही निरस्त करने से गेरनिगराकार के पट्टा जारी करवाने के अधिकार समाप्त नही हो जाते ।

अतः निगराकार द्वारा पेश तीनो आपत्तियां खारिज की जाती है । पंचायत समिति खेराबाद स्थायी समिति द्वारा मौका देखने पर पर्याप्त रास्ता होना पाये जाने से उपरोक्त तीनो निगरानी स्वीकार किऐ जाने योग्य नहीं पाई जाती है।

5. परिणामतः उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकारान की उपरोक्त तीनो निगरानी खारिज की जाती है।

6. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 08.11..2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा